



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-18.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद Shri Sanjay Seth के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 153 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	हर्षराज सिंह	अमित कुमार, मो. 9431740911	1	सी.आर.पी.एफ, तिरिल, धुर्वा, राँची
2	अर्नव कुमार	सवेरा कुमारी, मो. 7870191840	1	हिन्, राँची
3	हिमांशु ठाकुर	मनोज ठाकुर, मो. 6203376407	3	सी.सी.एल, राजेन्द्र नगर, राँची
4	अन्नदीता कुमारी सिंह	नीरज कुमार सिंह, मो. 8789718836	1	हिन्, राँची
5	श्रेया राय	लोकेश कुमार राय, मो. 8889537888	2	सी.सी.एल, राजेन्द्र नगर, राँची
6	प्रत्युश आनंद	बब्बन यादव, मो. 8292597394	8	सी.आर.पी.एफ, तिरिल, धुर्वा, राँची
7	सौम्या	नीता तिवारी, मो. 9140309856	1	सी.सी.एल, राजेन्द्र नगर, राँची
8	रिद्धी कुमारी	रूपेश कुमार चौरसिया, मो. 9122323636	4	सी.सी.एल, राजेन्द्र नगर, राँची
9	सौम्या रंजन	राजु रंजन कुमार, मो. 8986645774	2	सी.आर.पी.एफ, तिरिल, धुर्वा, राँची
10	नंदनी पाठक	धर्मेन्द्र कुमार पाठक, मो. 6202243467	7	सी.सी.एल, राजेन्द्र नगर, राँची

पिता ठाकुर
 कु. प. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Sanjay Seth माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, राँची संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

